भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या - 574

शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक)

लेन-देन शुल्क

***574. कर्नल सोनाराम चौधरी:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के ऋण से अलग लेन-देन में 0.50 रुपए का परिव्यय एक अतिरिक्त बोझ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय योजनाओं के लिए इस व्यय को वहन करने का पहले ही निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से राज्य विशिष्ट योजनाओं पर लगने वाले शुल्क को माफ करने के लिए राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. राधाकृष्णन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

'लेन-देन शुल्क' के संबंध में कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा 06 अप्रैल, 2018 के लिए पूछे गए लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 574 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) केन्द्र सरकार की सभी स्कीमों में अर्थात् केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्र सरकार ने ऐसे डीबीटी लेन-देन करने के लिए बैंकों/एनपीसीआई/अन्य एजेंसियों को लेन-देन प्रभारों का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया है। ऐसे लेन-देन प्रभारों का भुगतान, किसी स्कीम के तहत लाभ अंतरणों के अलावा किया जाता है। केन्द्र सरकार लेन-देन प्रभारों की मद में यह देनदारी वहन करती है और इसका भुगतान संबंधित विभागों द्वारा स्कीम के संगत बजट शीर्ष से किया जाता है। व्यय विभाग ने दिनांक 26.05.2017 के अपने का. ज्ञा. सं. 32(07)/पीएफ-II/2011(वॉल.II) के तहत निर्धारित किया है कि प्रत्येक लेन-देन के लिए देय 0.50/- रुपए की लेनदेन लागत प्रायोजक बैंकों, गंतव्य संस्थाओं और एनपीसीआई के बीच 0.10 रुपए, 0.25 रुपए और 0.15 रुपए के अनुपात में बांटी जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि व्यय विभाग के 1 जून, 2016 के का. ज्ञा. के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र प्रायोजित डीबीटी स्कीमों के संबंध में, यद्यपि लाभ राज्य समेकित निधि (मनरेगा के मामले में राज्य रोजगार गारंटी कोष) से अंतरित किए जाएंगे, लेन-देन प्रभारों और कैश-आउट प्रोत्साहनों, जो प्रशासनिक प्रभार के स्वरूप के होते हैं, का भुगतान केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग, एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत सफल लेन-देनों के वाउचरों और ब्यौरे के आधार पर करेंगे।

राज्य डीबीटी स्कीमों से संबंधित लेन-देन के प्रभारों के संबंध में, व्यय विभाग के 1 जून, 2016 के का. ज्ञा. सं. 32(07)/पीएफ-II/2011(वॉल.II) के तहत यह परामर्श दिया गया है कि एनपीसीआई के विद्यमान परिपत्र के अनुसार लेन-देन प्रभार लागू होंगे और एनपीसीआई अपने दावों के भुगतान के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क कर सकता है। राज्य सरकारों को ऐसे लेन-देन प्रभारों का भुगतान, लाभ अंतरणों के अलावा एक अतिरिक्त राशि के रूप में करना होगा। एनपीसीआई के दिनांक 23.11.2015 के विद्यमान परिपत्र सं. 136 के अनुसार, प्रत्येक लेन-देन के लिए देय 0.50/- रुपए की लेन-देन लागत प्रायोजक बैंकों, गंतव्य संस्थाओं और एनपीसीआई के बीच 0.10 रुपए, 0.25 रुपए और 0.15 रुपए के अनुपात में बांटी जानी है।

(ग) और (घ) व्यय विभाग में ऐसे कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

****